कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद।

पत्रांक :- 4711 /46एम0-मु0क्षे0/13 दिनांक :- 23/7/15

सेवा में,

जिलाधिकारी
बिजनौर।

विषय :- जनपद बिजनौर में ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर के नहटौर नूरपुर अमरोहा जोया मार्ग के कि0मी0-26.400 पर खसरा सं0-147 में पट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स एस्सार ऑयल लि0, नोयडा को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय का पत्रांक-1206/बीस-आयुध सहायक दिनांक 28-04-2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भगत पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करें। विषयगत प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक-2347/1काम(बी0)-रा0वृत/15 दिनांक 16-07-15 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर का पत्रांक-1800/आर.एस.एल. दिनांक 13-07-15 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा की गई संस्तुति एवं शर्तो के तारतम्य में ग्राम आजमगढ़ उर्फ रतनगढ़ तहसील चॉदपुर जिला बिजनौर के नहटौर नूरपुर अमरोहा जोया मार्ग के कि0मी0-26.400 पर खसरा सं0-147 पर प्रस्तावित पैट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) स्थापित करने हेतु मैसर्स एस्सार ऑयल लि0, नोयडा को निम्न शर्तो के साथ लो0नि0वि0 से सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

1- प्रस्तावित निर्माण कार्य संलग्न अनुमोदित प्लान के अनुसार ही कराना होगा।
2- निर्माण कार्य अनुमति प्राप्त होने के एक वर्ष के अन्दर पूर्ण कराना आवश्यक होगा।
3- भू-स्वामित्व के आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
4- प्रस्तावित निर्माण यदि विनियमित क्षेत्र, नगर पालिका/टाउन एरिया की सीमा में आता है तो निर्माण से पूर्व उनसे भी अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
5- प्रस्तावित निर्माण स्थल के सामने पुलिया एवं पहुॅच मार्ग आवेदक को स्वयं के व्यय पर निर्माण कराना आवश्यक होगा एवं विधिवत् अनुबन्ध कराना भी आवश्यक होगा।
6- भविष्य में यदि कोई प्रस्ताव मार्ग के चौड़ीकरण का आता है तो नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए आवेदक सहमत होंगे।
7- प्रस्तावित निर्माण से सड़क यातायात में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा।
8- उपरोक्त प्लान के अनुसार निर्माण न करने अथवा उपरोक्त किसी भी शर्तो का उल्लघंन किये जाने पर प्रदत्त स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

संलग्न :- 1-साईट प्लान-1
2-अधी0अभि0, रा0वृत का पत्र सं0-2347/1काम(बी0)-रा0वृत/14 दिनांक 16-07-15 एवं अधि0अभि0, प्रा0खं0, लो0नि0वि0, बिजनौर का पत्र सं0-1800/आर.एस.एल. दिनांक 13-07-15 (छाया प्रति संलग्न)

(ए0के0 भाटिया)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- 1-अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 16-07-15 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2-अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0 भाटिया)
मुख्य अभियन्ता